

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 03/2020

निर्णय दिनांक 17.2.20

उनवान

1. राधामोहन पुत्र श्री कालूराम जाति ब्राह्मण, निवासी - वार्ड नम्बर 9, तहसील के पीछे, लाभियों का मोहंल्ला, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. कस्तूरी देवी पत्नि जगदीश नारायण जाति ब्राह्मण, निवासी— वार्ड नम्बर 19, चम्पेश्वर कॉलोनी, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।


2. भगवान भारद्वाज पुत्र मदन लाल जाति गोड ब्राह्मण, निवासी - पंडित, कृषि फार्म, के0डी0 फार्म के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, सांगानेर जयपुर राजस्थान।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण


प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थी चाकसू पश्चिम, तहसील चाकसू में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 8540, 8541/1, 8547/1, 8548/01, 8549/1, 8550, 8551 कुल किता 7 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि वाके ग्राम चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है , प्रार्थिया द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में करवा लिया गया है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर गया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 8540, 8541/1, 8547/1, 8548/01, 8549/1, 8550, 8551 कुल किता 7 कुल रकबा 1.33 है० भूमि वाके ग्राम चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
(एस0डी0एम0) चाकसू

